(ई०मेल के द्वारा)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उ0शि0, उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री अर्थ–1/ 1341 /2018–19 दिनांक 4-7-2018

विषयः सत्र 2018–19 में सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के संबंध में चयनित सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि शासनादेश संख्या–1864/सत्तर–2–2013–16(246)/2010 दिनांक 25 नवंबर 2013, शासनादेश संख्या 269/सत्तर–2–2014–16(246)/2010 दिनांक 24 अप्रैल 2014 एवं शासनादेश संख्या–2/2018/69/सत्तर–1–2018–16(58)/2017 दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में नियोजन की प्रकिया, शर्तो तथा मानदेय का निर्धारण किया गया है। उल्लेखनीय है कि सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 1801.2018 द्वारा पूर्व में निर्धारित मानदेय की दरों को निम्नवत वर्तमान में संशोधित किया गया है–

क्रम	पदनाम	पूर्व में निर्धारित मानदेय की दरें	वर्तमान मानदेय की दरें
क–	असिस्टेंट प्रोफेसर	रू0 20000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 400 प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 25000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 500 प्रति व्याख्यान की दर से
ख–	एसोसिएट प्रोफेसर	रू0 22000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 500 प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 30000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 600 प्रति व्याख्यान की दर से
ग–	प्रोफेसर स्तर	रू0 25000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 600 प्रति व्याख्यान की दर से	रू0 35000/–प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0 700 प्रति व्याख्यान की दर से

अतः शासनादेश दिनांक 25.11.2013, 24.4.2014 में दी गयी व्यवस्थानुसार शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों, जिनकी आयु 69 वर्ष तक है तथा जो सामान्य आकलन में शारीरिक एवं मानसिक रूप स्वस्थ हैं, को शिक्षण सत्र 2018–19 में शिक्षकों के उक्त रिक्त पदों पर उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी मानदेय दरों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य सम्पन्न कराने हेतु, उनकी लिखित सहमति के आलोक में पूर्व में गठित चयन समिति (क्षेत्रान्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य(अध्यक्ष), संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी(सदस्य संयोजक), संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य(सदस्य) एवं संबंधित महाविद्यालय का वरिष्ठतम रीडर, सदस्य) की बैठक आहूत कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्व की भांति सम्पन्न कराकर अनुमोदित सेवानिवृत्त शिक्षकों का प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत सत्र 2018–19 हेतु संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके।

भवदीय

डा0(दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0
कृते शिक्षा निदेशक, उ0शि0
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री अर्थ–1/ /उसी तिथि को

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा0(दिलीप कपूर)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0